# अध्याय – 2

## अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य

| पद का नाम | अध्यक्ष म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल | |
|---|---|---|
| शक्तियाँ | प्रशासकीय | (1) समस्त प्रशासनिक, अकादमिक शक्तियों का प्रयोग करना।<br>(2) कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करना।<br>(3) किसी भी सदस्य को अपने ऐसे कृत्य एवं विचार प्रत्यायोजित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें। |
| | वित्तीय | वार्षिक बजट से संबंधित मदों में नियोजन का निर्देश एवं पुनर्नियोजन द्वारा किसी मद की राशि अन्य मद में स्थानांतरित निम्न शर्तों के अंतर्गत कर सकेंगे :–<br>(1) मूल प्रावधान का अधिकतम 20 प्रतिशत होगा।<br>(2) एक वर्ष में एक मद में केवल एक बार होगा।<br>(3) फर्नीचर, वाहन, मजदूरी एवं किसी प्रकार के भत्ते, आकस्मिक मद में पुनर्नियोजन नहीं किये जावेंगे।<br>(4) 15 जनवरी के पश्चात् पुनर्नियोजन नहीं कराये जायेंगे। |
| कर्त्तव्य | | (1) यह सुनिश्चित् करेंगे कि राज्य ओपन स्कूल की गतिविधियाँ, ज्ञापन, पत्र, नियमों, विनियमों और उपनियमों के प्रावधान के अनुसार दक्षतापूर्वक संचालित हो।<br>(2) कार्यकारिणी की बैठक में पक्ष–विपक्ष के बराबर मद पड़ने की दशा में अपने निर्णायक मत का उपयोग करेंगे।<br>(3) कार्यकारिणी की सभी बैठकों में पड़ने वाले मतों की वैद्यता का निर्णय करेंगे। |

### सदस्य सचिव की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व

सदस्य सचिव म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे और म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के मामलों और वित्त के उचित प्रशासन तथा कार्यकारिणी के अध्यक्ष के निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। अपने कृत्यों के लिये उन्हें निम्नलिखित शक्तियॉ प्राप्त होंगी। कार्यकारिणी के अध्यक्ष के निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

(1) अध्यक्ष के अनुमोदन से परामर्शदाता और स्त्रोत व्यक्ति नियुक्त करना।
(2) म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभी अधिकारियों और स्टाफ के कर्त्तव्य निर्धारित करना।
(3) आवश्यक पर्यवेक्षक और अनुशासनात्मक नियंत्रण करना।
(4) म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड तथा उसकी क्षेत्रीय इकाइयों/अध्ययन केन्द्रों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थगित करना और उनका पर्यवेक्षण करना।
(5) म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड और उसकी कार्यकारिणी की बैठकों का प्रबंध करना और नियमानुसार बैठकों की कार्यवाही विवरण अभिलिखित और संधारित करना।
(6) अन्य ऐसे कृत्य संपादित करना जो म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्यकारिणी द्वारा सौंपे जायें।